न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या– 131/2014–15

श्री सतीश गर्ग व अन्य

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार व अन्य

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, अध्यक्ष।

बावत

मौजा बरहैनी, तहसील–बाजपुर,
जनपद उधम सिंह नगर।

निर्णय

प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल द्वारा जमींदारी उन्मूलन अपील संख्या–47/63/2012–13 सरकार उत्तराखण्ड बनाम सतीश गर्ग व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 14–03–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा दिनांक 21–08–2010 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सतीश गर्ग आदि बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि इस आधार पर योजित किया कि ग्राम बरहैनी, तहसील बाजपुर के खसरा नम्बर 226/1 रकबा 0–809है0 भूमि पर वादीगण का कब्जा 50 वर्षों से भी पूर्व से गासवाना रूप से लगातार चला आ रहा है और वादीगण को अपने इस कब्जे के आधार पर संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और प्रतिवादी नं0 3 लगायत 13 के समस्त अधिकार संक्रमणीय आराजी से समाप्त हो चुके है। मियाद के अन्दर असल काश्तकार प्रतिवादी नं0 03 लगायत 13 व उनके पूर्व दर्ज खातेदारों ने वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल नहीं कराया और ना ही बेदखली हेतु कोई बेदखली वाद ही दायार किया जिस कारण असल काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 03 लगायत 13 व उनके पूर्व दर्ज खातेदारों के समस्त अधिकार समाप्त हो गये हैं और वादीगण को संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वादीगण ने अहलकारान माल से कई बार विवादित आराजी पर अपना नाम बतौर संक्रणीय भूमिधर दर्ज करने को कहा परन्तु वह सुनवाई नहीं हुई। तब वादीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 दीवानी प्रकिया के तहत कलेक्टर, उधम सिंह नगर को दिया जो विधिवत रूप से उन पर तामील हुआ। नोटिस मियाद बीतने के बाद भी जब वादीगण का नाम कागजात माल में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज नहीं किया गया तब मजबूरन यह वाद दायर किया है। वादीगण ने प्रश्नगत भूमि पर उन्हें विवादित आराजी का संक्रमणीय भूमिधर घोषित किये जाने

का अनुरोध किया। अपीलार्थीगण/वादीगण के वाद पत्र के आधार सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर के न्यायालय में वाद संस्थित हुआ और प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जो उन पर तामील हुए प्रतिवादी संख्या–01 राज्य सरकार व प्रतिवादी संख्या–02 ग्राम सभा की ओर से वाद पत्र का प्रतिवाद करते हुए अपना जबावदावा प्रस्तुत किया गया परन्तु प्रतिवादी संख्या–03 लगायत 13 तामीली के बावजूद हाजिर नहीं हुए जिसके उपरान्त उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर ने वाद में 04 वाद बिन्दु सृजित किए और उभयपक्षों के अधिवक्तागणों को सुनने के उपरान्त वाद बिन्दुओं की विवेचना करते हुए अपने निर्णयादेश दिनांक 28–02–2013 से अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद डिक्री किया गया और उन्हें वादग्रस्त भूमि का संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया गया। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर के निर्णयादेश दिनांक 28–02–2013 के विरूद्व राज्य सरकार व ग्राम सभा की ओर से विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के न्यायालय में प्रथम अपील योजित की गई और इस अपील में उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 14–03–2015 से अपील स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर का निर्णयादेश दिनांक 28–02–2013 निरस्त किया गया। विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल के निर्णयादेश दिनांक 14–03–2015 से क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की लिखित बहस एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर के न्यायालय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का वाद दिनांक 21–08–2010 को योजित किया था जिसमें ग्राम बरहैनी, तहसील बाजपुर के खेत खसरा संख्या–226/1 रकबा 0.809 है0 पर अपने बाप–दादाओं के समय से यानि पिछले 50 वर्षों से लगातार प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या–03 लगायत 13 के विरूद्व मुखालफाना कब्जे के आधार काबिज काश्त होने का उल्लेख किया गया था। असल/मूल खातेदारान द्वारा अपीलार्थीगण को मियाद अन्दर बेदखल नहीं किया है और न ही कोई बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई जिस कारण अपीलार्थीगण को प्रश्नगत भूमि पर संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार जमींदार विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के तहत हासिल हो चुके हैं। अवर न्यायालय द्वारा पक्षकारों को नियमानुसार सम्मन/सूचना प्रेषित की गई तथा प्रतिवादीगण के जबावदावा आने के उपरान्त चार वाद बिन्दु स्थिर किये गये। वाद बिन्दु स्थिर किये जाने के उपरान्त वादीगण द्वारा 80 जा0दी0 व 106 पंचायतराज एक्ट के तहत दिये गये नोटिस की प्रति प्रेषित किये जाने बावत कथन को सिद्व किया है तथा इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि की 1413–1418 फसली के खाता खतौनी संख्या 76 व खतौनी 1419–1424 फसली के खाता

संख्या– 91 की प्रतियाँ प्रस्तुत की गई तथा वादीगण की ओर से सतीश गर्ग पुत्र बनारसी दास द्वारा अपने कथनों में यह सिद्व किया है कि वादग्रस्त भूमि पर पिछले 50 सालों यानि 1960 ई0 से उसके पिता बनारसी दास व वादी संख्या 2 सतीश गोयल के पिता रूपचन्द का मुखालफाना कब्जा प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 13 के पूर्वजों के विरूद्व चला आया है। मूल खातेदारान द्वारा अपीलार्थीगण के पिता तथा अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर 1367 फसली याने वर्ष 1960 से लगातार मुखालफाना कब्जा चले आने के सबब से जमींदार विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के तहत वर्ग 1क संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार कानूनन हासिल हो चुक हैं। प्रतिवादी 03 लगायत 13 द्वारा कोई भी चाराजोई प्रश्नगत मामले में बावजूद सूचना के नहीं की गई और न ही कोई जबाव दावा अथवा आपत्ति पत्र ही प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार व ग्राम सभा की ओर से हल्का पटवारी ग्राम बरहैनी के बयान परीक्षित कराये गये। हल्का पटवारी द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 13 जो कि बुक्सा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, का होना बताया गया तथा प्रश्नगत भूमि पर वादीगण के पिछले 50 सालों से निरन्तर कब्जे में होने की पुष्टि की है। विचारित पत्रावली में समस्त साक्ष्य पूर्ण हो जाने व उभयपक्षों की बहस सुनने के उपरान्त सहायक कलेक्टर, बाजपुर द्वारा दिनांक 28–02–2013 को अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में घोषणात्मक आज्ञप्ति पारित की गई जिसका अमल दरामद भी प्रश्नगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में दिनांक 02–04–2013 को हो चुका है। सहायक कलेक्टर के निर्णयादेश के विरूद्व अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थीगण/वादीगण का पिछले 50 वर्षों से कब्जा नहीं माना तथा प्रश्नगत भूमि को बुक्सा जनजाति की भूमि मानते हुए प्रश्नगत भूमि पर संक्रणीय अधिकार दिये जाने बावत प्रतिबन्ध तथा यू0पी0 एक्ट नं0 20 सन् 1981 जो दिनांक 03–06–1981 को लागू हुआ को आधार मानते हुए अपीलार्थीगण के भौमिक अधिकारों की पुष्टि नहीं की गई। इसके अतिरिक्त भूलेख नियमावली के प्रस्तर क(80), क (81), क(81)(क) तथा प्रस्तर 423 के प्राविधानों का पालन न किया जाना तथा पी–10 का नोटिस जारी न किये जाने का उल्लेख करते हुए तथा जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157ख व 210 के परन्तुक की व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत भूमि को राज्य सरकार में निहित होने योग्य माना गया। वादीगण/अपीलार्थीगण के पितागण की मृत्यु के उपरान्त वादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। वर्ष 1960 यो 1367 फसली वर्ष में यू0पी0 टेनेन्सी एक्ट ग्राम बरहैनी में लागू था। यू0पी0 टेनेन्सी एक्ट की धरा 180 के तहत बेदखल करने की मियाद मात्र 02 वर्ष थी। यानि वादीगण के पिता को बेदखल करने की कानूनी सीमा 30–06–1962 तक थी। यू0पी0 टेनेन्सी एक्ट की धारा 180(2) के तहत वादीगण/अपीलार्थीगण के पितागण को वादग्रस्त भूमि पर कानूनन वर्ग 8 मौरूसी काश्तकार के अधिकार हासिल हो चुके थे। यू0पी0 एक्ट नम्बर 20 वर्ष 1982 जों

दिनांक 03–06–1981 से लागू हुआ है जबकि अपीलार्थीगण/वादीगण का प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1960 से निरन्तर कब्जा है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–131 के तहत वादीगण को प्रश्नगत भूमि पर वर्ग 1क संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार दिनांक 03–06–1981 से पेश्तर प्राप्त हो चुके हैं जिस कारण प्रश्नगत मामले में यू0पी0 एक्ट नं0 20 वर्ष 1982 के प्रविधान कानूनन लागू नहीं होते हैं और न ही जमींदारी विनाश अधिनियम में जोड़ी गयी नयी धारा 157ख जो दिनांक 03–06–1981 से प्रभावी हैं के प्राविधान ही लागू होते है। द्वितीय अपील स्वीकार होने एवं अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल का आदेश दिनांक 14–03–2015 निरस्त होने एवं सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर का आदेश दिनांक 28–02–2013 पुष्ट होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने आर0डी0 2007(102) पृष्ठ 244 मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आर0डी0 1987 पृष्ठ 121 एवं 2009(1) यू0ए0डी0 201 मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गईं।

प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम बरहैनी, तहसील बाजपुर के खाता संख्या 76 फसली वर्ष 1413 से 1418 के खसरा नम्बर 226 रकबा 0.809 है0 भूमि के सम्बन्ध में वादीगण ने अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश अधिनिय का वाद योजित किया कि वादीगण को गासबाना कब्जे के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाये जो दिनांक 28–02–2013 को वादीगण के पक्ष में डिकी हुआ जो गलत तथ्यों के आधार पर डिकी हुआ। विवादित भूमि बुक्सा जनजाति की है। बुक्सा जनजाति के व्यक्ति पर मुखालफाना कब्जे के आधार पर अधिनियम की धरा 210 के अन्तर्गत अधिकार प्रदान किया जाना प्रतिबन्धित है। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157बी यह प्राविधानित करती है कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी गैर अनुसचित जनजाति के व्यक्ति को दान, विक्रय, बन्धक पट्टा अथवा भूमि अन्तरण नहीं कर सकता है और धारा 210 के परन्तुक अनुसूचित जनजाति की भूमि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकारों की घोषिणाओं को प्रतिबन्धित करती है। यह प्राविधान 03 जून, वर्ष 1981 से प्रभावी हैं। अपीलार्थीगण द्वारा अवर न्यायालय में प्रश्नगत भूमि पचास वर्ष से पूर्व का कब्जा कहना मूल खातेदारों की सहमति से प्राप्त किये गये कब्जे अविधिक अन्तरण को वैध प्रदर्शित करने का प्रयास है जबकि कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। क्षेत्रीय पटवारी द्वारा वर्ष 2013 में अवर न्यायालय में यह बयान दिया कि प्रत्यर्थियों की प्रश्नगत भूमि पर तीस वर्षों का कब्जा है जिससे विदित होता है कि कब्जा 3 जून, 1981 के बाद का है जो कि कानूनन प्रतिबन्धित है। अपीलार्थीगण की अपील निरस्त होने योग्य है।

यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर के न्यायालय में वाद दिनांक 21–08–2010 को इस आधार पर योजित किया कि ग्राम बरहैनी, तहसील बाजपुर के खसरा नम्बर 226/1 रकबा 0–809है0 भूमि पर वादीगण का कब्जा 50

वर्षों से भी पूर्व से गासवाना रूप से लगातार चला आता है और वादीगण को अपने इस कब्जे के आधार पर संक्रमणीय भूमिधरी के प्राप्त हो चुके हैं और प्रतिवादी नं0 3 लगायत 13 के समस्त अधिकार संक्रमणीय आराजी से समाप्त हो चुके है। मियाद के अन्दर असल काश्तकार प्रतिवादी नं0 03 लगायत 13 व उनके पूर्व दर्ज खातेदारों ने वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल नहीं कराया और ना ही बेदखली हेतु कोई बेदखली वाद ही दायर किया जिस कारण असल काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 03 लगायत 13 व उनके पूर्व दर्ज खातेदारों के समस्त अधिकार समाप्त हो गये हैं और वादीगण को संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वादीगण ने अहलकारान माल से कई बार विवादित आराजी पर अपना नाम बतौर संक्रणीय भूमिधर दर्ज करने को कहा परन्तु सुनवाई नहीं हुई। तब वादीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 दीवानी प्रकिया के तहत कलेक्टर, उधम सिंह नगर को दिया जो विधिवत रूप से उन पर तामील हुआ। नोटिस मियाद बीतने के बाद भी जब वादीगण का नाम कागजात माल में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज नहीं किया गया तब मजबूरन यह वाद दायर किया है। वादीगण ने प्रश्नगत भूमि पर उन्हें विवादित आराज का संक्रमणीय भूमिधर घोषित किये जाने का अनुरोध किया। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर ने वाद में निम्न चार विधिक बिन्दु विरचित किये :–

1. क्या विवादित आराजी पर ादीगण का कब्जा 50 वर्षों से पूर्व से गासवाना रूप लगातार चला आता है और वादीगण को अपने कब्जे के आधार पर विवादित आराजी पर संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, यदि हां तो उसका प्रभाव ?

2. क्या वादीगण द्वारा दावा प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस विधि सम्मत तरीके से नहीं दिया गया है, यदि हां तो उसका प्रभाव?

3. क्या विवादित आराजी बुक्सा जनजाति द्वारा घृत भूमि पर कब्जे के आधार पर वादीगण को अधिकार दिये जा सकते हैं, यदि हाँ तो उसका प्रभाव ?

4. वादीगण क्या अनुतोष पाने के अधिकारी हैं ?

वाद बिन्दु संख्या–1 व 3 के एक दूसरे से सम्बन्धित होने पर विद्वान सहायक कलेक्टर ने बिन्दुओं की विस्तृत विवेचना करते हुए अपना यह निष्कर्ष दिया कि प्रस्तुत साक्ष्यों एवं हल्का पटवारी के बयानों से विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा 50 वर्षों से पूर्व गासवाना तौर पर लगातार चला आता है। साक्ष्य एवं जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे वादीगण का कब्जा विवादित आराजी पर 12 वर्ष से अधिक का सिद्व न होता है। विवादित आराजी पर वादीगण के कब्जे की पुष्टि स्वंय वादीगण एवं प्रस्तुत गवाहान के बयानों से भी होती है। जहाँ तक धारा 157बी के अन्तर्गत भूमि विकय एवं हस्तान्तरण करने का प्रश्न है तो प्रतिवादी नम्बर 03 लगायत 13 द्वारा विवादित आराजी वादीगण को विकय अथवा हस्तान्तरण किया जाना सिद्व नहीं होता है। जहां तक बुक्सा जनजाति के

व्यक्ति द्वारा घृत भूमि पर वादीगण को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार दिये जाने का है तो असल काश्तकार द्वारा वाद का प्रतिवाद नहीं किया गया है इसलिए विवादित आराजी बुक्सा जनजाति के व्यक्ति द्वारा घृत भूमि होने के बावजूद भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण/वादीगण को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और दोनों बिन्दु सकारात्मक रूप से अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णीत हुए।

इसी प्रकार वाद बिन्दु संख्या–2 की विवेचना में दावा प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस विधि सम्मत तरीके से नहीं दिये जाने सम्बन्धी बिन्दु की विवेचना करते हुए यह पाया गया कि पत्रावली में प्रस्तुत नकल नोटिस 80 सी0पी0सी0 दिनांक 21–04–2010, पोस्टल रसीद व ए0डी0 कार्ड के अवलोकन से वादीगण द्वारा राज्य सरकार को दावा दायर करने से पूर्व 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिये जाने की पुष्टि हुई है।

वाद बिन्दु संख्या–4 की विवेचना में उनके द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 03 में दी गई विस्तृत विवेचना के आधार पर वादीगण का विवादित आराजी पर संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त सभी विधिक बिन्दुओं का विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर द्वारा सकारात्मक रूप से अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है जिससे उनका प्रश्नगत भूमि पर मुखालफाना कब्जा 50 वर्षों से सिद्व होता हैं। अपीलार्थीगण द्वारा योजित घोषणात्मक वाद में यह भी स्पष्ट हुआ है कि इस वाद में प्रश्नगत भूमि के मूल खातेदारों द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा वाद में कोई जबावदावा अथवा आपत्ति ही दाखिल की गईं जिससे वादीगण/अपीलार्थीगण का विचारण न्यायालय में साक्ष्यों एवं मौखिक बयानों आदि से उनका कब्जा मुखालफाना 50 वर्षों से सिद्व होता है। इस सम्बन्ध में मैंने विद्वान अपर आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 14–03–2015 का भी सम्यक अध्ययन किया। विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश में यह उल्लेख किया है कि निम्न न्यायालय द्वारा जिन मौखिक साक्ष्यों को आदेश का मुख्य आधार लिया है उसमें क्षेत्रीय पटवारी के बयान भी सम्मिलित हैं और क्षेत्रीय पटवारी द्वारा भी वर्ष 2013 में तृतीय पक्ष के कथन के आधार पर यह बयान दिया गया है कि प्रत्यर्थी/वादीगण का प्रश्नगत भूमि में 30 वर्षों का कब्जा है अर्थात प्रश्नगत भूमि में यदि प्रत्यर्थियों का कब्जा है भी तो वह 3 जून, 1981 के बाद है इस प्रकार क्षेत्रीय पटवारी एवं अपीलार्थीगण तथा उनके गवाहों के बयानों में विरोधाभाष है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विधिक व्यवस्था 2009(1) यू0ए0डी0 201 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम मलकीत सिंह व अन्य में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि :– " उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम, 1950, धारा–210 और 229बी–भूमिधरी के

अधिकारों को घोषित किये जाने का वाद–निर्णय में कहा गया रिट याचिका में धारा–210 के अन्तर्गत संशोधन दिनांक 03–06–1981 से लागू हुआ था–जबकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया था कि उत्तरदाता नम्बर 1 द्वारा सूट दायर करने से पूर्व अनाधिकृत कब्जे द्वारा अपना मालकाना हक दिनांक 3–6–1981 से काफी पहले बताया गया था–इसलिए बाद में हुआ संशोधन उस के मालकाना हक को प्रभावित नहीं करेगा–इसलिए रिट पिटीशन तद्नुसार निरस्त किया गया।"

इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य विधिक व्यवस्था आर0डी0 1987 शफी बनाम डी0डी0सी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि:– "U.P. Consolidation of Holdings Act. 1953, S. 48-Constitution of India Art. 226- Oral evidence can prove possession-D.D.C. being last facr finding authority failed to look into oral evidence-Effect-Order D.D.C. vitiated ; quashed. "

विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण के वाद का उसके मूल खातेदारों द्वारा कोई प्रतिरोध अथवा विरोध नहीं किया गया जिससे उनका कब्जा मुखालफाना सिद्व होता है। द्वितीय अपील स्वीकार होने योग्य है एवं विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल का निर्णयादेश दिनांक 14–03–2015 निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल का आक्षेपित निर्णयादेश दिनांक 14–03–2015 निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 10.11.2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष।